न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 08/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2014/00047

अनवान

1. श्री नन्दलाल पिता भग्गा मीणा, निवासी लकु का लेवा, तह. लसाडिया, जिला उदयपुर
2. श्री रोडा पिता भग्गाजी मीणा, निवासी लकु का लेवा, तह. लसाडिया, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती बाबरी बेवा मेगाजी मीणा, निवासी लकु का लेवा, तहसील लसाडिया, उदयपुर
2. श्री भेरा पिता उदाजी मीणा, निवासी लकु का लेवा, तहसील लसाडिया, उदयपुर
3. श्री नेता पिता पांचिया मीणा, निवासी लकु का लेवा, तहसील लसाडिया, उदयपुर
4. श्री प्रताप पिता पांचिया मीणा, निवासी लकु का लेवा, तहसील लसाडिया, उदयपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार लसाडिया, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 से 4

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-02-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम लकु का लेवा, तहसील लसाडिया में साबिक आराजी संख्या 347 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसका आवंटन श्री नारायण पिता भग्गा मीणा को सन् 1977 में किया गया, जबकि उक्त नामान्तरकरण की कोई पत्रावली नही बनी है तथा कोई भी आवंटन आदेश नही मिला है, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 96 दिनांक 30.12.1977 को स्वीकृत किया गया। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गयी कि अन्त्योदय योजना में आवंटन आदेश होने से नामान्तरकरण खोला गया है, जबकि नामान्तरकरण आदेश न तो नामान्तरकरण पंजिका के साथ लगा है और न ही अलग से कोई आदेश है। कथित भूमि पर प्रार्थीगण का उनके पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है एवं आवंटन के आधार पर श्री नारायण पिता मेगा मीणा के नाम भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई है। आवंटी श्री नारायण का उक्त भूमि पर एक भी दिन कब्जा नही रहा है। श्री नारायण लावारिस फोत हो चुका था एवं उसकी पत्नि भी नही थी। इस कारण कथित भूमि विपक्षी संख्या 1 श्रीमती बाबरी के नाम दर्ज की गयी। नारायण के बजाय श्रीमती बाबरी के नाम जो म्यूटेशन

खोला गया, उसमें खातेदार या गैर खातेदारी कुछ भी नही लिखा गया। इस कारण जमाबन्दी में श्रीमती बाबरी का नाम खातेदारी हक से दर्ज हो गया एवं बाबरी ने उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 से 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी। आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात् न तो विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है, न ही आवंटन से पूर्व प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, न ही ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार की गयी है, न ही वक्त आवंटन कोरम पूर्ण था। आवंटन के उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना भी विपक्षीगण द्वारा नही की गयी है। विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों का विगत लम्बे समय से निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। उक्त आवंटन विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना मिथ्या एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से कराये जाने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजमल मेनारिया ने जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा लकु का लेवा, तहसील लसाडिया में आराजी संख्या 347 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन श्री नारायण पुत्र भग्गा मीणा को विधिवत आवंटन किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है एवं आवंटन उपरान्त भूमि आवंटी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुयी एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की नियमानुसार पालना करने से श्री नारायण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। आवंटी श्री नारायण पिता मेगा का असामायिक निधन हो जाने से उसकी कोई संतान न होने से उक्त भूमि मृतक श्री नारायण की माता विपक्षी संख्या 1 श्रीमती बाबरी बाई में निहित हुयी है एवं विरासत का नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 07.02.1983 से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुयी है। विपक्षी संख्या 1 के आवेदन पर उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। श्री नारायण का वर्ष 1977 से 1982 तक भूमि पर काश्त रहा है एवं वर्ष 1983 से वर्ष 2013 तक अर्थात 30 वर्ष तक विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर काबिज रही है एवं इसके उपरान्त उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 2 से 4 को विक्रय कर दी है एवं वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 का कोई कब्जा/हक एवं हिस्सा उक्त विवादित आराजी में नही है। विपक्षी संख्या 2 से 4 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। आवंटन से पूर्व विधिवत उद्दघोषणा जारी हुयी है एवं नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति के पूर्ण कोरम में उक्त आवंटन की राय ली गयी है। प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात से कोई संबंध नहीं हैं। आवंटन के 37 वर्ष उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को परेशान करने के उद्देश्य से मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त गांव की आराजी संख्या 357 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भी वर्ष 1977 में प्रार्थीगण के मौरूस श्री भग्गा, वेणा, अमरा पिता हीरा को आवंटन हुआ है। चूंकि उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट रेकर्डेड खातेदार है, ऐसी स्थिति में किसी भी घोषणा के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया ही सक्षम है। उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य न होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के संबंध मे मौका रिपोर्ट तलब की गईं। तहसीलदार लसाडिया द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 980 दिनांक 12.12.2019 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आराजी संख्या 347 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में श्री नेता पिता पांचिया मीणा हिस्सा 41/222, श्री प्रताप पिता पांचिया मीणा हिस्सा 41/222, श्री भेरा पुत्र उदा मीणा हिस्सा 70/111 के नाम दर्ज होकर आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा लुणदा के नाम रहन है एवं उक्त भूमि पर खातेदार स्वयं काबिज होकर हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी धरियावद से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 1135/1977 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करने हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, आवंटन से पूर्व प्रोक्लेमेशन जारी न होना, ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाई की सुची तैयार न होना, आवंटन नियमों की पालना न होना आदि आधारो पर उक्त आवंटन को खारिज करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

- आर.बी.जे. (5) 1998 पृष्ठ 554
- आर.बी.जे. (14) 2007 पृष्ठ 492
- आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 1
- आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 465
- आर.आर.डी. 2009 (1) पृष्ठ 113
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 497
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 237
- आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 629
- आर.आर.टी. 2005 (1) पृष्ठ 83
- आर.आर.टी. 2001 (2) पृष्ठ 1358
- आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 764

विपक्षी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये भूमि का विधि अनुसार आवंटन होना, आवंटन पश्चात् भूमि काश्त योग्य बनाना, एवं विपक्षीगण का रेकर्डेड खातेदार होना, भूमि का विक्रय होना आदि आधारों पर आवंटन को बहाल रखे जाने हेतु अनुरोध किया एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया एवं अनुरोध किया। विपक्षी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने कथन किया कि

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

- सी.टी. 2005 (2) पृष्ठ 336
- आर.आर.टी. 2004 (2) पृष्ठ 870
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1240
- आर.आर.टी. 2007 (1) पृष्ठ 18

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 से 4 के जवाब, मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांत आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा लकु का लेवा की साबिक आराजी संख्या 347 में से रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु श्री नारायण पिता मेगा द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन श्री नारायण पिता मेगा मीणा को किया गया है एवं आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना पाया गया है। आवंटन पत्रावली में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन प्रथम दृष्टया परिलक्षित नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा आवंटन से पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का आवंटन से पूर्ववर्ती कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी विपक्षी संख्या 2 से 4 का कब्जा होना पाया गया है। विपक्षी संख्या 2 से 4 उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। कथित आवंटन वर्ष 1977 में किया गया है, जिसे निरस्त कराने के लिये प्रार्थीगण द्वारा लगभग 37 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया है एवं न ही विलम्ब का कोई समुचित कारण बताया है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने से किसी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम

दृष्ट्या सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा लकु का लेवा, तहसील लसाडिया की साबिक आराजी संख्या 347 मे रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी धरियावद द्वारा मिसल नम्बर 1135/1977 से किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.02 12:09:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: